

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्री १५
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प १५

88/25

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी १२.००/१५ व नू.अ.नि. ११५१५
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री १५/१५/१५/१५/१५ की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान
 राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम १५/१५/१५/१५/१५ तहसील १५/१५/१५/१५/१५ जिला १५/१५/१५/१५/१५
 की जमादन्दी संख्या २०१५.१५ में खाता संख्या १५० में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	श्री १५/१५/१५/१५/१५	१५०	शुद्ध	दिली/प/१५

(Signature)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी श्री १५
 पदेन कलक्टर श्री १५
 जिला-राजसमन्

क्रमांक :- 88/25

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

- १ तहसीलदार श्री १५ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालन रिपोर्ट भिजवायें।
- २ प्रार्थी श्री १५/१५/१५/१५/१५ को सूचनाथ।
- ३ सक्षि पत्रावली। १५/१५/१५/१५/१५

(Signature)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी श्री १५
 पदेन कलक्टर श्री १५
 जिला-राजसमन्